संख्या एफ-19(297)/2026-स्थापना

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली – 110029

दिनांक: – 12 जून 2026

कार्यालय आदेश

विषय: - परिषद में लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

परिषद के दिनांक 02 अप्रैल, 2026 तथा 24 अप्रैल, 2026 के पत्र संख्या 6-2(12)/2023-स्था. का अवलोकन करें और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनानुसार, सीधी भर्ती के तहत निम्नलिखित उम्मीदवार को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (₹56,100–1,77,500) और अन्य यथाग्राह्य सामान्य भत्तों सहित लेखा अधिकारी के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है, उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी। उन्हें निम्नलिखित संस्थान में तैनात किया जाता है।

क्रं.सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	तैनाती
1.	श्री सागर खंडेलवाल	29 मई, 2026	एनआईटीएचआर, जबलपुर

2. यह नियुक्ति अस्थाई है और यह सरकारी अस्पताल द्वारा विधिवत रुप से गठित चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित प्राधिकरणों से चरित्र एवं आचरण, जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) के सत्यापन के अधीन है।

3. वे अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रहेगें। यघपि, सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार द्वारा जारी समय-समय पर किए जाने वाले अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है।

4. वे परिषद के तहत सेवा की सामान्य शर्तों और विनियमों के अधीन शासित होंगे।

5. उनका वेतन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और CCS (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 की शर्तों के तहत नियत किया जाएगा।

6. अधिकारी को तब तक तैनात नहीं माना जाएगा जब तक वे अपने से संबंधित तैनाती स्थान पर पद का कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते।

7. अधिकारी को यात्रा भत्ता तथा कार्यभार ग्रहण अवधि का भत्ता नियमानुसार देय होगा।

8. इस मद पर होने वाला व्यय, परिषद मुख्यालय के वर्ष 2026-2027 के बजट में "वेतन और भत्ते" शीर्षक के तहत किए गए प्रावधानों से पूरा किया जाए।

9. दिनांक 02 अप्रैल, 2026 के पत्र संख्या 6-2(12)/2023-स्था की अन्य शर्तें और नियम यथावत् रहेंगी।

(जयबीर सिंह)

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

श्री सागर खंडेलवाल,
लेखा अधिकारी,परिषद मुख्यालय।

प्रतिलिपि:

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक(आई/एम एंड ई/एम)/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार, के निजी सचिव।
2. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (प्रशा.),(आर एडं पी) /सहायक महानिदेशक,दोनों(वित्त एवं प्रशा.)।
3. उपर्युक्त अधिकारी के पूर्व विभाग -सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय।
5. प्रशासन अधिकारी, आरक्षण प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय।
6. नोडल अधिकारी, ई-गवर्नेंस सेल, परिषद मुख्यालय।
7. नोडल अधिकारी, आरटीआई सेल, परिषद मुख्यालय।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी/बिल अनुभाग, परिषद मुख्यालय।
9. लेखा- VI, परिषद मुख्यालय।
10. बजट/ गार्ड फ़ाइल/ संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत फ़ाइल।